

न्याय निर्णयन अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट बाड़मेर
पीठासीन अधिकारी— श्री ओ0पी0 बिश्नोई आर.ए.एस.

परिवाद संख्या 37/2014

प्रार्थी

भूराराम गोदारा
खाध सुरक्षा अधिकारी
कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं
स्वास्थ्य अधिकारी, बाड़मेर

बनाम

अप्रार्थी

1. गणपत पुत्र जेताजी जाति देवासी निवासी
गांव भागवा तहसील सिवाना जिला बाड़मेर
(फर्म मुनिम) मैसर्स महादेव दूध डेयरी
जालोर रोड़ मोकलसर बाड़मेर
2. किशनाराम पुत्र दानाराम गांव भागवा
रेबारियों का वास तहसील सिवाना जिला
बाड़मेर (फर्म मालिक)


परिवाद अन्तर्गत धारा 26 की उप धारा 2 (ii) खाध सुरक्षा एवं मानक
अधिनियम, 2006 व नियम 2011

उपस्थित:—1. सहायक लोक अभियोजक प्रथम बाड़मेर प्रार्थी की ओर से।
2. श्री राणाराम गौड़ अप्रार्थी संख्या 01 व 02 की ओर से।

निर्णय

दिनांक 03.10.2016

1. प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत परिवाद के अनुसार दिनांक 18.06.2014 को प्रार्थी खाध सुरक्षा
अधिकारी द्वारा दौराने गश्त जरिये सरकारी वाहन मैसर्स महादेव दूध डेयरी, जालोर
रोड़ मोकलसर दोपहर 02.00 बजे पहुँचने पर दुकान में एक व्यक्ति बैठा हुआ मिला,
नाम पता पूछने पर अपना नाम गणपत पुत्र जेताजी जाति देवासी निवासी गांव भागवा
तहसील सिवाना जिला बाड़मेर (फर्म मुनिम) बताया। रूबरू मौतबिरान की उपस्थिति में
उक्त दुकान का निरीक्षण करने पर दुकान में रखे फ्रीज के एक खण्ड में दूध (मिक्स)
करीबन 50 लीटर आम जनता को विक्रय करने हेतु पाया गया। दूध में मिलावट का
सन्देह होने पर उक्त दूध में से दो लीटर दूध नपवा कर चार कांच की साफ सुखी व


न्याय निर्णयन अधिकारी एवं
अपर जिला मजिस्ट्रेट बाड़मेर

खाली शिशियों में बराबर मात्रा में भरा गया, जिसका भुगतान मालिक विक्रेता को 50/- रुपये किया गया। उक्त प्रत्येक शीशी में 40-40 बूंद फार्मेलिन बतौर प्रिजररेटिव के रूप में डालकर उसके उपर एयरटाईट ढक्कन लगाकर बंद किया गया तथा उसके उपर लेबल चिपकाया, जिस पर नमूने का विवरण अंकित कर गवाहो व मालिक विक्रेता के हस्ताक्षर करवाये गये एवं स्लीप कोड एवं सिरियल नम्बर पी 350 चिपकाकर चिपडी लगाकर नियमानुसार सीलबंद किया गया। इसके उपर लेबल चिपका कर नमूने का विवरण अंकित किए, प्रार्थी व गवाहान के हस्ताक्षर करवाये गये। प्रत्येक नमूने को मोटे व खाखी कागज में लपेट कर प्रत्येक नमूने पर विवरण अंकित किया, इस पर प्रार्थी व गवाहों के पेपर स्लीप को कौंस करते हुए हस्ताक्षर करवाये। फार्म नम्बर 05 ए भरकर गवाहों के एवं प्रार्थी के हस्ताक्षर करवाये गये उपरोक्त कार्यवाही दो गवाहो के रूबरू की गई तथा चारो नमूनों को अपने कब्जे में लिया व मौके पर गवाहों की उपस्थिति में मौका फर्द तैयार की गई। समस्त कार्यवाही करने के बाद कार्यालय आकर नमूना पी-350 जॉच हेतु खाध सुरक्षा लैब जोधपुर को भिजवाने हेतु फार्म नम्बर 06 की कुल सात प्रतियो पर नमूना सील जिसका प्रयोग संपल लेते वक्त नमूना सील करने में किया गया। एक प्रति नमूने के साथ रखकर आउटर कवर के साथ उसी ब्राससील से सील किया जिसका प्रयोग चारो नमूनों को सीलबन्द करने में किया गया एवं आउटर कवर पर, नमूना विवरण अंकित किया गया एवं एक लिफाफे में फार्म नम्बर 06 की एक प्रति रखकर खाध सुरक्षा लैब जोधपुर का पता अंकित कर ब्राससील द्वारा लिफाफे को सील बन्द किया गया। नमूनों का शेष दूसरा, तीसरा व चौथा भाग मय फार्म नम्बर 06 की एक प्रति आउटर कवर में ब्राससील से सील कर सील अवस्था में अभिहित अधिकारी एवं मुख्य चिकित्सा अधिकारी बाड़मेर को भिजवाने जाने का उल्लेख किया। प्रार्थी ने परिवाद में यह भी उल्लेखित किया कि पेय पदार्थ दूध (मिक्स) नमूना पी. 350 की जॉच रिपोर्ट क्रमांक एलएस/ 381/एक्ट/2014/391 दिनांक 19.7.2014 से अभिहित अधिकारी एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, बाड़मेर को प्राप्त हुई, जिसमें दूध का नमूना निर्धारित मानक कोटि का नहीं होने से अवमानक स्तर (Sub Standard/Does not Conform) का होना पाया गया। उक्त प्रकरण में पेय पदार्थ दूध (मिक्स) का विक्रय करके खाध सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 26 की उप धारा 2 (ii)



न्याय निर्णयन अधिकारी एवं
अपर जिला मजिस्ट्रेट बाड़मेर

का उल्लंघन पाये जाने के आधार पर प्रार्थी खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने समुचित कार्यवाही किये जाने हेतु यह परिवाद पेश किया। खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने परिवाद के साथ गजट नोटिफिकेशन की प्रति, कार्यक्षेत्र का नोटिफिकेशन एवं संशोधित नोटिफिकेशन की प्रति, फार्म नम्बर 5 ए, नमूना खरीद रसीद, मौका फर्द, नमूना पी.350 जॉच रिपोर्ट अभिहित अधिकारी द्वारा पत्रावली पेश करने हेतु आवेदन, फाईल करने बाबत लिखा गया पत्र की प्रति प्रस्तुत की गयी।

2. परिवाद प्राप्त होने पर प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को कारण बताओ नोटिस जारी किया। अप्रार्थीगण के अधिवक्ता द्वारा जवाब पेश नहीं करने के फलस्वरूप जवाब बन्द किया गया।
3. हमने दोनो पक्षों को सुना। अप्रार्थीगण के विद्वान अधिवक्ता ने वक्त बहस जाहिर किया कि अप्रार्थीगण गांवो से दूध इकट्ठा करके अपनी डेयरी पर विक्रय करते है, दूध में इसके स्तर पर किसी प्रकार की मिलावट नहीं की गई। सहायक लोक अभियोजक प्रथम का यह तर्क है कि दिनांक 18.6.2014 को गश्त करते हुए मैसर्स महादेव दूध डेयरी, जालोर रोड मोकलसर का निरीक्षण करने पर दुकान में रखे एक फ्रीज में करीबन 50 लीटर दूध (मिक्स) आम जनता को बेचने हेतु रखा हुआ था। दूध (मिक्स) का नमूना पी.350 निर्धारित मानक कोटि का नहीं होने एवं अवमानक स्तर (Sub Standard) का होना पाया गया, जो खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम की धारा 51 का उल्लंघन है। इसलिये अप्रार्थीगण पर जुर्माना आरोपित किया जाए।
4. हमने दोनो पक्षों की बहस सुनी। परिवाद में वर्णित तथ्यों एवं इसके साथ संलग्न दस्तावेजात तथा खाद्य विशलेषक जोधपुर से प्राप्त जॉच रिपोर्ट संख्या एलएस/381 एक्ट/2014/391 दिनांक 19.07.2014 के अनुसार अप्रार्थीगण द्वारा विक्रय किये जा रहे दूध का नमूना पी. 350 अवमानक स्तर (Sub Standard) का होना पाया गया है, जिसके लिये अप्रार्थीगण दोषी प्रतीत होते है।
5. अतः उपरोक्त विवेचन से स्पष्ट है कि अप्रार्थीगण गणपत व किशनाराम द्वारा विक्रय किया जा रहा दूध खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम 2006 व नियम 2011 की धारा 26 की उप धारा 2 (ii) के तहत निर्धारित मानक कोटि का नहीं होने एवं अवमानक स्तर (Sub Standard) का रखने एवं बेचने का दोषी है। जिसके लिये उपरोक्त अधिनियम की धारा 51 में अवमानक स्तर (Sub Standard) पदार्थ पाये जाने पर





न्याय निर्णयन अधिकारी एवं
अपर जिला मजिस्ट्रेट बाड़मेर

शास्ति आरोपित किये जाने का प्रावधान किया गया है। अतः खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 26 की उप धारा 2 (ii) का उल्लंघन करने एवं अपराध कारित होने के फलस्वरूप उक्त अधिनियम की धारा 51 में अप्रार्थीगण गणपत व किशनाराम प्रत्येक पर रूपये 8000/- (अक्षरे रूपये आठ-आठ हजार मात्र) शास्ति आरोपित की जाती है। उपरोक्त शास्ति की राशि मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी बाड़मेर के नाम डिमाण्ड ड्राफ्ट के माध्यम से निर्णय तारीख 03.10.2016 से एक माह के अंदर- अंदर जमा कराकर रसीद प्राप्त करें।



निर्णय आज तारीख 03.10.2016 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।


(ओपीओ बिश्नोई)
न्याय निर्णयन अधिकारी एवं
अति. जिला मजिस्ट्रेट बाड़मेर
अपर जिला मजिस्ट्रेट बाड़मेर


न्याय निर्णयन अधिकारी एवं
अति. जिला मजिस्ट्रेट बाड़मेर
अपर जिला मजिस्ट्रेट बाड़मेर